



INDIAN POLITY BY-SUJEET BAJPAI SIR



SAFALTA CLASS An Initiative by SIPPE 351101 Constitution Constituere Mean



The Company Rule (1773–1858)



कंपनी का शासन [1773 से 1858 तक] 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट : इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधनिक महत्व है, यथा : (अ) भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था,



(ब) इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली, एवं;

(स) इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।



П

Last q Warren 1. It designated the Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal'. П The first such Governor-General was Lord Warren Hastings.

Regulating Act of (1773)



इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया था। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।



2. It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor-general of Bengal, unlike earlier, when the three presidencies were independent of one another.

3. It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta (1774) comprising one chief justice and three other judges.



2. इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक-दूसरे से अलग थे।

3. अधिनियम के अंतर्गत कलकता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।

Pitt's India Act of 1784 Pmb Bottam- William Pitt

- In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement.
- The next important act was the Pitt's India Act of 1784.



1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ़ सैटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनिमय पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में अस्तित्व में आया।



1.

It allowed the Court of Directors to manage the commercial affairs but created a new body called Board of Control to manage the political affairs.

Thus, it established a system of double government.



 इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। द्वैध शासन की व्यवस्था का श्भारंभ किया गया। डस प्रकार. · BOD



2. The Company's territories in India were for the first time called the 'British possessions in India'

भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया.



Charter Act of 1833

1. It made the Governor-General of Bengal as the Governor-General of India and vested in him all civil and military powers. इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी ।



Thus, the act created, for the first time, a Government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India.

Lord William Bentick was the first governor-general of India.

इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था।

लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।





2.It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body.

3. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the Company.

However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors.



 ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।

3. चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जायेगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।



Charter Act of 1853

This was the last of the series of Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था।



The Crown Rule (1858–1947)





Government of India Act of 1858

This significant Act was enacted in the wake of the Revolt of 1857—also known as the First War of Independence or the 'sepoy mutiny'.

यह महत्वपूर्ण अधिनियम 1857 के विद्रोह के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था-जिसे स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई या 'सिपाही विद्रोह' के रूप में भी जाना जाता है।



The act known as the Act for the Good Government of India, abolished the East India Company, and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown.

भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है ।

इस से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश क्राउन को सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों का हस्तांतरण किया ।



- 1.It changed the designation of the Governor-General of India to that of Viceroy of India.
- He (viceroy) was the direct representative of the British Crown in India.
- Lord Canning thus became the first Viceroy of India.



1. भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया।

वह (वायसराय) भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।



2.It ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors.

- 3. It created a new office, Secretary of State for India, vested with complete authority and control over Indian administration.
- The secretary of state was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament.



 बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था खत्म कर दी।

3. इसने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के लिए राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और अंतत ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार थे।



4. It established a 15-member Council of India to assist the secretary of state for India.

The council was an advisory body.

The secretary of state was made the chairman of the council.



4.

इसने भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। परिषद एक सलाहकार निकाय था। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया।





Indian Councils Act of 1861

1. It made a beginning of representative institutions by associating Indians with the law-making process.

It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council.



1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

1.

इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की।

इस प्रकार यह प्रावधान किया गया कि वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में कुछ भारतीयों को मनोनीत करना चाहिए ।



In 1862, Lord Canning, the then viceroy, nominated three Indians to his legislative council—the Raja of Benaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.

1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया था- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव।


2. It initiated the process of decentralisation by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras Presidencies.

It thus reversed the centralising tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833.

This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937.



- 2.
- इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की ।
- इस प्रकार इसने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया जो 1773 के विनियमन अधिनियम से शुरू हुआ और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया।
- विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणामस्वरूप १९३७ में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई ।



- 3. It also gave a recognition to the 'portfolio' system, introduced by Lord Canning in 1859.
- Under this, a member of the viceroy's council was made in-charge of one or more departments of the government and was authorised to issue final orders on behalf of the council on matters of his department(s).



3. इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पेश की गई 'पोर्टफोलियो' प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से

इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और उन्हें अपने विभाग (एस) के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।



4. It empowered the Viceroy to issue ordinances, without the concurrence of the legislative council, during an emergency.

- The life of such an ordinance was six months.
- 4. इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया । ऐसे अध्यादेश की जिंदगी छह महीने की थी।





It increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget5 and addressing questions to the executive.



Indian Councils Act of 1892

It increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive.

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इससे विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि हुई और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों का समाधान करने की शक्ति दी गई ।





It retained official majority in the Central Legislative Council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority.



Indian Councils Act of 1909 1.

It retained official majority in the Central Legislative Council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority.

इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति दी ।



It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels.

For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget, and so on. इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार-विमर्श कार्यों को बढ़ा दिया । उदाहरण के लिए, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प लेने आदि की अनुमति दी गई थी ।



It provided (for the first time) for the association of Indians with the executive Councils of the viceroy and Governors.

- Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's Executive Council.
- He was appointed as the law member.



- 3.
- इसमें वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के संघ के लिए (पहली बार) प्रावधान किया गया था ।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।
- उन्हें लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था।



- It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of 'separate electorate'.
- Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters.
- Thus, the Act 'legalised communalism' and Lord Minto came to be known as the Father of Communal Electorate.



इसने अलग मतदाताओं की अवधारणा को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की । इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही करना था। इस प्रकार, अधिनियम 'सांप्रदायिकता को वैध' और मिंटो सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है।





Government of India Act of 1919

This Act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms (Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India).



Government of India Act of 1919

This Act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms (Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India).

इस अधिनियम को मोंटागू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है (मोंटागु) भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।



- It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. The central and provincial legislatures were authorised to make laws on their respective list of subjects.
- However, the structure of government continued to be centralised and unitary.



- 1.
- इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया ।
- केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था ।
- हालांकि, सरकार का ढांचा केंद्रीकृत और एकात्मक बना रहा ।



It further divided the provincial subjects into two parts—transferred and reserved. The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative Council.



इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया- स्थानांतरित और आरक्षित। तबादला किए गए विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था ।



The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative Council.

This dual scheme of governance was known as 'dyarchy'—a term derived from the Greek word di-arche which means double rule. However, this experiment was largely unsuccessful.



दूसरी ओर आरक्षित विषयों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना ही प्रशासित किया जाना था । शासन की इस दोहरी योजना को 'डायसत्ता' के नाम से जाना जाता था- ग्रीक शब्द डी-आर्च से प्राप्त एक शब्द जिसका अर्थ है दोहरा शासन। हालांकि यह प्रयोग काफी हद तक असफल रहा।



It introduced, for the first time, bicameralism and direct elections in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an Upper House (Council of State) and a Lower House (Legislative Assembly). The majority of members of both the Houses were chosen by direct election.

3



- 3.
- इसने देश में पहली बार द्विसदनात्मकता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की । इस प्रकार, भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनात्मक विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें एक उच्च सदन (राज्य परिषद) और एक निचले सदन (विधान सभा) शामिल थे ।
- दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया ।



It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans.

इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस और गोरों के लिए अलग निर्वाचिका प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया ।



It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education.

6.

It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions.



इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया ।

6. इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया कार्यालय बनाया और उन्हें कुछ कार्यों में स्थानांतरित कर दिया ।



It provided for the establishment of a public service commission.

Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants.

7. इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था।

इसलिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए १९२६ में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी ।



It separated, for the first time, provincial budgets from the Central budget and authorised the provincial legislatures to enact their budgets.

10.

It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after ten years of its coming into force.



यह पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया ।

10. इसमें एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था ताकि इसके लागू होने के दस वर्षों के बाद इसके कार्य की जांच और रिपोर्ट की जा सके ।

SAFALTA CLASS[™] 1919 - 1935An Initiative by **342351CI** Comm mos omator nou Refu 3 m.l. Nehou OS)



Government of India Act of 1935

The Act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 Sections and 10 Schedules.



भारत सरकार अधिनियम 1935

अधिनियम भारत में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक दूसरा मील का पत्थर है।

∻यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें ३२१ धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं ।
It provided for the establishment of an All-India Federation consisting of provinces and princely states as units. The Act divided the powers between the Centre and units in terms of three lists—

Federal List (for Centre, with 59 items), Provincial List (for provinces, with 54 items) and the Concurrent List (for both, with 36 items). Residuary powers were given to the Viceroy.







इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की व्यवस्था की गई थी ।

इस अधिनियम ने तीन सूचियों के हिसाब से केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया- संघीय सूची (केंद्र के लिए, ५९ मदों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, ५४ मदों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, ३६ मदों के साथ) । वायसराय को आण-नाता दिया गया।



However, the federation never came into being as the princely states did not join it.

2. It abolished dyarchy in the provinces and introduced 'provincial autonomy' in its place. A Stele Marchy M



हालांकि, फेडरेशन कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल नहीं किया ।

2. प्रांतों में डायसत्ता को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर ' प्रांतीय स्वायत्तता ' शुरू की ।



2. It provided for the adoption of dyarchy at the Centre. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. However, this provision of the Act did not come into operation at all.



- इसमें केंद्र में डायसत्ता को गोद लेने की व्यवस्था की गई थी।
- नतीजतन, संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था।
- हालांकि एक्ट का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ।



It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country.

4.

It provided for the establishment of not only a Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for two or more provinces.



3. इसमें देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

4. इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि दो या अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था ।





It provided for the establishment of a Federal Court, which was set up in 1937.

5. इसमें संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान था, जिसकी स्थापना १९३७ में की गई थी ।



Indian Independence Act of 1947



It ended the British rule in India and declared $\bigvee \int \int dM$ India as an independent and sovereign state from August 15, 1947.

2.

It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth.



1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- 1.
- इसने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
- 2.
- इसमें भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण का प्रावधान था ।



It abolished the office of viceroy and provided, for each dominion, a governor-general, who was to be appointed by the British King on the advice of the dominion cabinet. His Majesty's Government in Britain was to have no responsibility with respect to the Government of India or Pakistan.



- 3.
- इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक प्रभुत्व के लिए एक गवर्नर-जनरल, जो प्रभुत्व कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था, प्रदान किया ।
- ब्रिटेन में महामहिम की सरकार को भारत सरकार या पाकिस्तान के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी थी ।



It empowered the Constituent Assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence act itself.

इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को तैयार करने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम संहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया ।



It empowered the Constituent Assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced.

No Act of the British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion.



इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को नए संविधानों का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया । 15 अगस्त, १९४७ के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई अधिनियम नए डोमिनरों में से किसी को भी तब तक विस्तारित नहीं करना था जब तक कि इसे प्रभुत्व की विधायिका के कानून द्वारा नहीं बढ़ाया गया था ।



It abolished the office of the secretary of state for India.

7. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states.



6. इसने भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया ।

7. इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की चूक की घोषणा की ।



It granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent.

9.

It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act of 1935, till the new Constitutions were framed. The dominions were however authorised to make modifications in the Act.



इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के प्रभुत्व में शामिल होने या पाकिस्तान के डोमिनर में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की आजादी दी ।

9. इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रत्येक डोमिनेशन और प्रांतों के शासन का प्रावधान किया गया था, जब तक कि नए संविधान नहीं बन जाते । हालांकि इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए डोमिनेशन को अधिकृत किया गया था ।



It deprived the British Monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval. इसने ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों को वीटो करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया या उनकी मंजूरी के लिए कुछ विधेयकों के आरक्षण की मांग की ।







Don't Forget to Like / Comment & Share this video



97



www.Youtube.com/safaltaclass



www.Facebook.com/safaltaclass



www.Instagram.com/safaltaclass



